

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी गांव साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थान है, जो निवासी है, वादी का पेशा खेती है तथा वादी का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि अक्टूबर प्रकिया सहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्राधानों के अन्तर्गत अधिष्ठित है तथा वादपत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र के सम्बन्ध में शपथ-पत्र संलग्न है तथा वाद पत्र 2 प्रतियों में प्रस्तुत है।

निर्णय :-

- दिनांक :- 01.10.2019
1. श्री संजय जनवेजा
 2. श्री रोहित गुन्धर
 3. पेशेकार राज
 4. प्रतिवादी 4
 - 1 वा 3
 - 2 -- वादी

उपरिष्ठित अधिसूचनाएं :-

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आदेश 88, 53 राज. कां. त. अधिनियम

प्रतिवादीगण

1. कुंड सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. लखवीर सिंह पुत्र श्री कुंड सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. हरदीप सिंह पुत्र श्री कुंड सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जारिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर
5. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा केशरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. सुखवीर सिंह पुत्र श्री कुंड सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एम साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. -- वादी



2 यह कि उक्त रकबा का किलावाड़न वादी के नाम से अमल दरमद

घोषित किया जावे।

5.439 है। नही कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा का वादी को खातेदार

तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/23 मुरखा नम्बर 21 व 22 की

1. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वाके तक 24 जैड

बाबत निवेदन किया कि-

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से लिखी किये जाने

हेतु वादी को प्राप्त हुआ है।

करवाना चाहता है। इसलिए यह दावा लाना आवश्यक हो गया है। यही वाद

हालातों में उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा

प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। उक्त

संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस

संख्या 1 टाल मटोल करवा रहा तथा दिनांक 05.05.2019 को प्रतिवादी

हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरमद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी

पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह धरू बटवाराजुसार वादी के

विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पा रहा है, इसलिए कुछ दिन

करवाया है। उक्त रकबा वादी के नाम से दर्ज ना होने के कारण वादी

आए रकबा में बड़ी सहेनत करके व काफी कपया खर्च करके सुधार कार्य

नाम करवा देगे, इस विवेकास पर वादी ने उक्त रकबा में से अपने हिस्सा में

1 द्वारा वादी को बटवारे बाबत कहा हुआ है कि सहमति से बटवारा गुम्हार

3 काबिज चले आ रहे है तथा मौका पर काबल कर रहे है। प्रतिवादी संख्या

हिस्सा भूमि बटवारा में दी हुई है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/4-1/4

मासिक बटवारा वादीगण के साथ किया हुआ है तथा उक्त भूमि में से

साथ हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि का धरू

कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के

नकल जमाबन्दी संगन वाद है। यह कि उक्त भूमि पूर्वक सम्पत्ति होने के

पूर्वक सम्पत्ति है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है।

नही कृषि भूमि दर्ज कमाजाल माल है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की

श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/23 मुरखा नम्बर 21 व 22 की 5.439 हैत.

अन्य सन्तान नही है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके तक 24 जैड तह.

है, वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 की कोई

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी के भाई



१७

निर्णय किया जावे।

जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार राज्य हिरो को मध्या नजर रखते हुए स्टेट की ओर से परीकारण द्वारा दिनांक 03.09.2019 को स्टेट

जावे तो पक्षकारण को कोई ऐतराज नहीं होगा।

(प्रत्येक 0.253 है।) कुल 1.429 हैट्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया 4(0.189 हैट्टे), 5, 6 (प्रत्येक 0.253 हैट्टे) 7(0.190 हैट्टे), 13(0.038), 14, 15

21 व 22 की कुल 5.439 है। भूमि में से मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर को- एक 24 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/23 मुरब्बा नम्बर

0.354 हैट्टे कुल 1.429 हैट्टेयर कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं 3 हरदीप सिंह 1.075 हैट्टे व मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 20(0.101 हैट्टे), 21(0.253) =

नम्बर 21 का किला नम्बर 21(0.063 हैट्टे), 22 ता 25 (प्रत्येक 0.253 हैट्टे)= संख्या 60/23 मुरब्बा नम्बर 21 व 22 की कुल 5.439 है। भूमि में से मुरब्बा

प्रतिवादी सं 2 लखवीर सिंह को- एक 24 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता 11(0.253 हैट्टे), 20(0.152)= 0.405 हैट्टे कुल 1.152 हैट्टे कृषि भूमि का, 3.

20(0.020 हैट्टे), 21(0.190 हैट्टे) = 0.747 हैट्टे व मुं 22 के कि 0 नो नम्बर 21 का किला नम्बर 11(0.069 हैट्टे), 12(0.253 हैट्टे), 13/2(0.215 हैट्टे)

संख्या 60/23 मुरब्बा नम्बर 21 व 22 की कुल 5.439 हैट्टे भूमि में से मुरब्बा प्रतिवादी सं. 1 ऊड़ सिंह को- एक 24 जैड तह. श्रीगंगानगर के खाता

19(प्रत्येक 0.253 हैट्टे), 20(0.233 हैट्टे), कुल 1.429 हैट्टेयर कृषि भूमि का, 2. हैट्टे भूमि में से मुरब्बा नम्बर 21 का किला नम्बर 11(0.184 हैट्टे), 16 से

श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/23 मुरब्बा नम्बर 21 व 22 की कुल 5.439 हिक्की करवाना चाहते हैं:- 1. वादी सुखवीर सिंह को- एक 24 जैड तह.

विवाद नहीं रहा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वाद को निम्न प्रकार से का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई

भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों से प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष राजीनामा पेश किया जिसके तथ्यानुसार इस प्रकारण में लोक अदालत की

31.07.2019 को स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर जदिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को करवाया जावे।

4. अन्य कोई अनुरोध जो वादी के हक में हो दिलाया जावे।

करवाया जावे।

3. यह कि उक्त रकबा का किलावाहेज वादी क नाम से अमल दर्साव



हैक मूँसि में से मुरखा नम्बर 21 का किला नम्बर 4(0.189 हैक), 5, 6 (प्रत्येक श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/23 मुरखा नम्बर 21 व 22 की कुल 5.439 (4) प्रतिवादी सं 3 हरदीप सिंह को- एक 24 जैड तह.

का,

20(0.101 हैक), 21(0.253 हैक)= 0.354 हैक. कुल 1.429 हैक्टयर कृषि मूँसि (प्रत्येक 0.253 हैक)= 1.075 हैक. व मुरखा नम्बर 22 के किला नम्बर हैक. मूँसि में से मुरखा नम्बर 21 का किला नम्बर 21(0.063 हैक), 22 ता 25 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/23 मुरखा नम्बर 21 व 22 की कुल 5.439 (3) प्रतिवादी सं 2 लखवीर सिंह को- एक 24 जैड तह.

मूँसि का,

कि 0 नो 11(0.253 हैक), 20(0.152 हैक) = 0.405 हैक. कुल 1.152 हैक. कृषि (0.215 हैक), 20(0.020 हैक), 21(0.190 हैक)= 0.747 हैक. व मूँ 0 22 के से मुरखा नम्बर 21 का किला नम्बर 11(0.069 हैक), 12(0.253 हैक), 13/2 के खाता संख्या 60/23 मुरखा नम्बर 21 व 22 की कुल 5.439 हैक. मूँसि में (2) प्रतिवादी सं. 1 कड सिंह को- एक 24 जैड तह. श्रीगंगानगर

हैक), 20(0.233 हैक) कुल 1.429 हैक्टयर कृषि मूँसि का,

मुरखा नम्बर 21 का किला नम्बर 11(0.184 हैक), 16 से 19(प्रत्येक 0.253 खाता संख्या 60/23 मुरखा नम्बर 21 व 22 की कुल 5.439 हैक. मूँसि में से (1) वादी सुखवीर सिंह को- एक 24 जैड तह. श्रीगंगानगर के

से खातेदार घोषित किया जाता है :-

आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के

— :: आदेश :: —

अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

वाद पत्र लिखी किया जा सकता है।

प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार "राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के कथनों का अवलोकन किया गया।

परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं



श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
(मुकेश बौर)
17

में सूनाया गया।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय
पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिकी जारी की जावे। पत्रावली
खर्चा फीकैम अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टम्प ड्यूटी

प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

किस्म (यथा नही/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी
राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की
उक्त वर्गीत भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार
तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि

1.429 हेक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

0.253 हेक्. 7(0.190 हेक्.), 13(0.038 हेक्.), 14, 15 (प्रत्येक 0.253 हेक्.) कुल

नम्बर मुकदमा 88/2019
मुख्यीर बगाम कलसिह व अन्य

